[2018] 2 एससीआर 644

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,

एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट

(वर्तमान में कामराजार पोर्ट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

बनाम

वी. मनोहरन और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 2114-2115)

फ़रवरी 15,2018

[आरके अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - रिट याचिका, जिसमें तथ्यों के प्रश्न शामिल हैं - रखरखाव - चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में, कोयले और लौह अयस्क की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने के लिए, कई श्रमिक शामिल थे - रिट याचिका दायर की गई इन कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए - रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इन कर्मचारियों ने एक संघ बनाया - मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया - मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ पार्टियों को विवादों के निपटारे के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करने का निर्देश दिया - तदनुसार, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और एसोसिएशन ने एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया - कुछ सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की गतिविधि को किसी अन्य बंदरगाह पर स्थानांतरित करने के लिए दायर की गई रिट याचिका, ताकि इलाके में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण को काफी कम किया जा सके, अनुमति दी गई - तदनुसार, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से गतिविधियाँ एन्नोर पोर्ट में स्थानांतरित हो गईं - इस बीच, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर काम करने वाले श्रमिक होने का दावा करने वाले 90 व्यक्तियों ने फिर से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसे एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया - डिवीजन बेंच ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट (अपीलकर्ताओं) को कुछ निर्देश दिए - अपील पर, आयोजित: उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और एमओयू के खंड 31 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का प्रावधान था। किसी भी विवाद की स्थिति में, उत्तरदाताओं द्वारा दायर

की गई रिट याचिका पर एकल न्यायाधीश द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए थी और इसके बजाय पार्टियों को खंड 31 में दिए गए उपाय का सहारा लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था - अन्यथा भी, वर्तमान में उठाए गए विवाद मामले ऐसे विवाद नहीं हैं जो रिट क्षेत्राधिकार में मुकदमा चलाने में सक्षम हैं और केवल एक न्यायाधिकरण द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है - पार्टियों को मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाता है या विवादों पर फैसला सुनाया जाता है - सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गया: 1.1 रिट याचिकाकर्ताओं (यहाँ उत्तरदाताओं) द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति और रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए और एमओयू के खंडों, विशेष रूप से खंड 31 को ध्यान में रखते हुए, जो मामले को मध्यस्थ के पास भेजने का प्रावधान करता है। एमओयू के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में ट्रिब्यूनल, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर एकल न्यायाधीश द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और इसके बजाय पार्टियों को विचार करना चाहिए था। कानून के अनुसार निर्णय के लिए मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए खंड 31 में दिए गए उपाय का सहारा लेने के लिए छोड़ दिया गया है। [पैरा 22]

1.2 यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान में रोजगार में है और क्या वह ऐसे प्रतिष्ठान (जैसे इस मामले में पोर्ट ट्रस्ट) में अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का हकदार है और यदि हां, तो किस तारीख से यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है . यदि ऐसा प्रश्न प्रतिष्ठान द्वारा विवादित है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथ्य-खोज निकाय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है, जब तक कि पक्ष तथ्यों पर विवाद न करें। यदि एक व्यक्ति किसी विशेष तिथि से नियमितीकरण गुआ स्थापना के अपने मामले को साबित करने में सक्षम है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का मामला भी अन्य व्यक्ति की तरह स्वचालित रूप से साबित हो गया है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को सबूत जोड़कर स्वतंत्र रूप से अपने मामले को साबित करना होगा। केवल तभी ऐसा व्यक्ति ऐसी राहत का दावा करने का हकदार है। [पैरा 23-26]

1.3 मामले में कई प्रश्न उठते हैं और उचित राहत, यदि कोई हो, पर विचार करने से पहले उनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों को देखने पर ये प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुख्य गतिविधि से संबंधित हैं जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में की जा

रही थी और अब बड़े पैमाने पर एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट में स्थानांतरित हो गई है। अब जो विवाद फिर से उठाया जा रहा है वह चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रोजगार और नियमितीकरण से संबंधित है। [पैरा 27]

1.4 इस मामले में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले, क्या रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के रोजगार में थे या किसी ठेकेदार के रोजगार में थे और यदि हां, तो इसका आधार क्या है। दूसरा, क्या उनके और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के बीच या उनके और किसी ठेकेदार के बीच कर्मचारी और नियोक्ता का कोई संबंध था और, यदि $0, तो इसका आधार। तीसरा, क्या रिट याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य थे/हैं और यदि हाँ, तो इसका प्रभाव और यदि नहीं, तो इसका प्रभाव। चौथा, यह मानते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं को एसोसिएशन का सदस्य नहीं माना जाता है जैसा कि उन्होंने रिट याचिका में दावा किया था, क्या वे (संख्या में 90) अभी भी किसी राहत का दावा करने के हकदार हैं और यदि हां, तो किस पोर्ट ट्रस्ट और के खिलाफ कौन सी प्रकृति. पांचवां, यह मानते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं को एमओयू में निर्धारित उनकी योग्यता के आधार पर एसोसिएशन का सदस्य या कहें योग्य सदस्य माना जाता है, क्या वे किसी भी पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ किसी भी राहत का दावा करने के हकदार हैं और यदि हां, तो किस प्रकृति का है। छठा, यदि रिट याचिकाकर्ता (चाहे सभी या कुछ) यह साबित करने में सक्षम हैं कि वे चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के रोजगार में हैं/थे और उनके बीच कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध एमओयू के निष्पादन के बावजूद मौजूद है, तो क्या ऐसे व्यक्ति हकदार हैं पोर्ट ट्रस्ट की सेवा में नियमितीकरण का दावा करने के लिए और, यदि हां, तो कब से और किन लाभों के साथ या उनके मामले अभी भी इसके सदस्यों के रूप में एमओयू द्वारा शासित हैं और अंत में, रिट याचिकाकर्ताओं को क्या अंतिम राहत, यदि कोई हो, दी जा सकती है। [पैरा 28-33]

1.5 उपरोक्त प्रश्नों का निर्णय रिट याचिका में नहीं किया जा सकता है, लेकिन साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए सशक्त तथ्य-खोज निकाय द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सकता है। चूँकि इस मामले में पक्षकार अपने बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए सहमत हुए हैं, यह न्याय के हित में होगा कि पक्षों को विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता कार्यवाही उपाय का सहारा लेने के लिए बाध्य किया जाए। . मामले में उठने वाले सवालों पर निर्णय लेने के लिए मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के उद्देश्य से एमओयू का सहारा लिया जा सकता है। अन्यथा भी, यहां उठाए गए विवाद ऐसे विवाद नहीं हैं, जिनका रिट क्षेत्राधिकार में प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाया जा सकता है और वास्तव में केवल एक न्यायाधिकरण द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है। [पैरा 34-36]

1.6 रिट याचिकाकर्ताओं और पोर्ट ट्रस्टों को इस न्यायालय द्वारा तय किए गए प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए एमओयू के खंड 31 के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि पक्ष चाहें तो न्यायालय के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति का सहारा लिए बिना, आपसी सहमति से मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। एक बार नियुक्त होने के बाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर संदर्भ शुरू करेगा और पक्षों/हितधारकों के परामर्श के बाद कोई और प्रश्न तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि ऐसे प्रश्न भी उठते हैं और लंबे समय से लंबित विवादों को शांत करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। [पैरा 39-41]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2114- 2115 0f 2018।

2016 के क्रमशः WA Nos.1020 और 1378 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.01.2017 से

साथ

सिविल अपील संख्या 2116-2118 o£ 2018।

पी. एस. नरसिम्हा, पी. विल्सन, वी. प्रकाश, राजू रामचन्द्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सेंथिल जगदीसन, सुश्री श्रुति अय्यर, सुश्री सोनाक्षी मल्हान, सुश्री सुरीति चौधरी, आर. नेदुमारन, पी. वी. योगेश्वरन, ए.के. उपाध्याय, भुवन जयंत, सुश्री हंसिनी, एस.आर. सेतिया, अनुराग दुबे, सुश्री अनु साहनी, अजीत कुमार पाठक, संचित माहेश्वरी, मुकेश जैन, उपस्थित पक्षों के लिए सलाहकार।

न्यायालय का फैसला **अभय मनोहर सप्रे, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी

2. ये अपीलें 2016 के WA नंबर 0.1020, WA नंबर 1351/2016 और 2016 के WA नंबर 1378 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.01.2017 से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत डिवीजन बेंच उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटते/खारिज करते हुए आंशिक रूप से रिट अपील की अनुमति दी और रिट याचिकाकर्ताओं (यहां प्रतिवादियों) के पक्ष में उनके अनुपालन के लिए पोर्ट ट्रस्ट (यहां अपीलकर्ताओं) को कुछ निर्देश दिए।

3. इन अपीलों में शामिल मुद्दों की सराहना करने के लिए, यहां नीचे दिए गए प्रासंगिक तथ्यों को बताना आवश्यक है।

4. चेन्नई में दो पोर्ट ट्रस्ट हैं। एक को "चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट" के नाम से जाना जाता है और दूसरे को "एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट" के नाम से जाना जाता है, जिसे अब "कामराजार पोर्ट ट्रस्ट" कहा जाता है।

5. चेन्नई बंदरगाह देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। विभिन्न प्रकार के सामानों की लोडिंग, अनलोडिंग, स्पिलेज और क्लीयरिंग की कई परिचालन गतिविधियों के बीच, जो बंदरगाह में नियमित रूप से की जाती हैं, एक ऐसी गतिविधि जो नियमित आधार पर चालू होती है वह है "कोयला और लौह अयस्क" का प्रबंधन।

6. पोर्ट ट्रस्ट में स्थापित लौह अयस्क हैंडलिंग प्लांट से कोयला और लौह अयस्क की लोडिंग, अनलोडिंग, स्पिलेज और सफाई के लिए हितधारकों को श्रमिकों (चतुर्थ श्रेणी) की आवश्यकता होती है। इसलिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियमित आधार पर इस कार्य को करने में शामिल होते हैं।

7. 1987 में इन श्रमिकों ने पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना में अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की। चूंकि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, इसलिए उन्होंने (लगभग 160 लोगों ने) मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (डब्ल्यूपी संख्या 0.9011/1987) दायर की, जिसमें चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना में उनकी सेवाओं को नियमित करने की राहत की मांग की गई।

8. चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने रिट याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि उनके सेट अप में विभिन्न कारणों से इन श्रमिकों (रिट याचिकाकर्ताओं) की सेवाओं को नियमित करना संभव नहीं है। यह तर्क दिया गया कि ये कर्मचारी पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारी नहीं हैं और न ही उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध है। यह भी तर्क दिया गया कि यह ठेकेदार ही है, जो इन श्रमिकों को नियुक्त करता है, और इसलिए वे ठेकेदार के कर्मचारी हैं, लेकिन पोर्ट ट्रस्ट के नहीं।

9. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इन श्रमिकों (रिट याचिकाकर्ताओं) ने "मद्रास पोर्ट स्पिलेज हैंडलिंग वर्कर्स एसोसिएशन" (इसके बाद "एसोसिएशन" के रूप में संदर्भित) नामक एक एसोसिएशन का गठन किया और एसोसिएशन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत कराया। .

10. फिर मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप 22.10.1994 को एक निर्णय पारित हुआ। यह पुरस्कार 24.12.1994 को भारत सरकार के राजपत्र में

प्रकाशित किया गया था। पुरस्कार में, अन्य बातों के अलावा, पार्टियों को विवादों के निपटारे के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार, एसोसिएशन और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने 02.05.1995 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। (अनुलग्नक- पी-1)

11. एमओयू के खंड 1 में प्रावधान है कि एसोसिएशन द्वारा एमओयू के नियमों और शर्तों का पालन करने पर पोर्ट ट्रस्ट एसोसिएशन के सदस्यों को लोडिंग/अनलोडिंग/स्पिलेज/सफाई का काम देने के लिए सहमत हो गया है। एमओयू के खंड 2 में प्रावधान है कि एसोसिएशन की सदस्यता 160 की संख्या से अधिक नहीं होगी और एसोसिएशन की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी, जो अध्यक्ष की मंजूरी से शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित किए जाएंगे। खंड 2 में आगे प्रावधान है कि प्राथमिकता उन लोगों के आश्रितों को दी जाएगी जो कार्यरत थे और जिनकी मृत्यु हो गई या शारीरिक रूप से अयोग्य हो गए, उनके आश्रितों को एसोसिएशन का सदस्य बनाया जाएगा बशर्ते कि संबंधित आश्रित को मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट घोषित किया जाए और जिनकी सदस्यता को मंजूरी दी गई हो। अध्यक्ष. खंड 3 पुरुष/महिला सदस्यों को कार्य के आवंटन से संबंधित है। खंड 4 में आगे प्रावधान है कि सदस्य को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर काम से हटा दिया जाएगा और आयु के किसी भी प्रमाण के अभाव में, उसकी आयु के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणन अंतिम होगा। खंड 5 में प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य अयोग्य पाया जाता है, तो मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने के बाद उसे काम से हटा दिया जाएगा। खंड 6 में प्रावधान है कि वर्तमान में काम कर रहे सभी श्रमिकों को लौह अयस्क के रिसाव को साफ करने के लिए तैनात किया जाएगा। खंड 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 28, 29 और 30 एसोसिएशन के सदस्यों को अन्य मौद्रिक लाभों का भुगतान करने सहित भुगतान का तरीका और तरीका प्रदान करते हैं जबकि खंड 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 और 27 एसोसिएशन के सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और कल्याणकारी लाभ प्रदान करते हैं। खंड 31 में समझौता ज्ञापन के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने का प्रावधान है।

12. इस एमओयू को 31.12.1998 को संशोधित किया गया था (अनुलग्नक पी-2)। संशोधनों में से एक यह था कि एसोसिएशन को "ठेकेदार" के रूप में मान्यता दी गई थी जबकि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत "प्रधान नियोक्ता" के रूप में घोषित किया गया था।

13. मामले में उत्पन्न उपरोक्त पृष्ठभूमि तथ्यों के आलोक में, राज्य के खिलाफ कुछ सार्वजनिक-उत्साही व्यक्तियों द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय (डब्ल्यूपी संख्या 11747/2002) में एक रिट याचिका (जनहित याचिका) दायर की गई। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और प्रदूषण बोर्ड ने

शिकायत की है कि कोयले और लौह अयस्क की भारी और लापरवाह हैंडलिंग और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (हैंडलिंग प्लांट) परिसर में हर दिन धूल भरे माल की भारी आवाजाही के कारण भारी मात्रा में धूल और कई रसायन उत्सर्जित हो रहे हैं। हवा में मौजूद कण पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जो रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मानव जीवन और विशेष रूप से उन लोगों के लिए हानिकारक है, जो बंदरगाह के आस-पास के क्षेत्र में रह रहे हैं। यह शिकायत की गई थी कि ऐसी गतिविधि मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक और समान रूप से हानिकारक है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए या, किसी भी मामले में, गतिविधि को किसी अन्य बंदरगाह पर स्थानांतरित करने पर विचार करने सहित व्यापक सार्वजनिक हित में विनियमित किया जाना चाहिए, यदि व्यवहार्य और व्यावहारिक माना जाता है। ताकि इलाके में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण के खतरे काफी कम हो जाएं। मूलतः इसी कारण का समर्थन करने के लिए जनहित याचिका (रिट याचिका) व्यापक सार्वजनिक हित के लाभ के लिए उचित उपचारात्मक राहत का दावा करने के लिए दायर की गई थी। राज्य और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने कई आधारों पर रिट याचिका का विरोध किया।

14. दिनांक 11.05.2011 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट को उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पांच निर्देश दिए। इन निर्देशों को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **"(ए) सभी रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, मुआवजे के पहलू के संबंध में 2002 के WP No.41163 में की गई प्रार्थना खारिज कर दी गई है।**
>
> **(बी) भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव, जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है, को एन्नोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट के बीच कार्गो के वितरण को देखने, स्वच्छ कार्गो आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। कंटेनर, कार आदि को चेन्नई बंदरगाह तक और धूल भरे माल जैसे कोयला, लौह अयस्क और अन्य सभी धूल भरे माल को एन्नोर बंदरगाह तक।**
>
> **(सी) चूंकि एन्नोर बंदरगाह पर कोयला टर्मिनल, लौह अयस्क टर्मिनल और सिंगल लाइन रेल कनेक्टिविटी सितंबर, 2011 तक अपनी पूरी क्षमता से चालू होने का आश्वासन दिया गया है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व इसके सचिव, जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। और तमिलनाडु सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व उसके मुख्य सचिव करते हैं, को यह देखने का निर्देश दिया गया है कि कोयला, लौह अयस्क और अन्य सभी धूल भरे माल जैसे सभी धूल भरे माल 1.10.2011 से केवल एन्नोर बंदरगाह तक ही जाने चाहिए, चेन्नई बंदरगाह तक नहीं। चेन्नई बंदरगाह को**

भी इस दिशा में भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार को अपना पूरा सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

(डी) चेन्नई पोर्ट के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संबंध में, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट को यह देखने के लिए निर्देशित किया जाता है कि एक भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाए या अन्यथा ऐसा न किया जाए। जैसा कि ऊपर आदेश दिया गया है, एन्नोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट के बीच कार्गो के वितरण के कारण उसे अपनी आजीविका खोनी पड़ी। इस उद्देश्य के लिए, चूंकि धूल भरे कार्गो को 1.10.2011 से एन्नोर पोर्ट पर बर्थ और संसाधित किया जा रहा है, इसलिए एन्नोर पोर्ट ऐसी गतिविधियों से जुड़े चेन्नई पोर्ट के कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों के रूप में मान सकता है, जिसमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं। किसी भी कठिनाई के मामले में, भारत सरकार, इसके सचिव, शिपिंग मंत्रालय, नई दिल्ली और तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, दोनों बंदरगाहों की आय के अनुपात में चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को विभाजित करेगा।

(ई) व्यापारियों के संबंध में, पक्षकार उत्तरदाताओं 6 से 8 की तरह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह दोनों को कानून के अनुसार, उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।

15. चूंकि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आपत्तिजनक गतिविधि को बड़े पैमाने पर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने 15.10.2012 को एमओयू को समाप्त करने का संकल्प लिया। तदनुसार, 06.12.2012 को एसोसिएशन को समाप्ति के बारे में सूचित किया गया था।

16. इस बीच, 90 लोग फिर से जाग गए और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर काम करने वाले श्रमिक होने का दावा करते हुए एक रिट याचिका (2012 का WP 33614) दायर की और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना में अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की। उनका मुख्य मामला यह था कि चूंकि सभी रिट याचिकाकर्ता (90) पिछले 2 दशकों से अधिक समय से चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए उनकी सेवाओं को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना में नियमित किया जाना चाहिए। इस राहत के समर्थन में, रिट याचिकाकर्ताओं ने कुछ सबूत पेश किये।

17. चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने रिट याचिका का विरोध किया, अन्य बातों के साथ-साथ, फिर से तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के बीच कर्मचारी और नियोक्ता

का कोई संबंध नहीं था और इसलिए, रिट याचिकाकर्ता किसी भी राहत का दावा करने के हकदार नहीं हैं चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की सेवाओं में नियमितीकरण की राहत।

18. एकल न्यायाधीश ने आदेश 22.07.2016 द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पार्टियों के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था और इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, रिट में दावा किए गए दावे को तो छोड़ ही दें। याचिका रिट याचिकाकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की।

19. आक्षेपित आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने आंशिक रूप से रिट अपील की अनुमति दी और पोर्ट ट्रस्टों (यहां अपीलकर्ताओं) को रिट याचिकाकर्ताओं (यहां प्रतिवादियों) के पक्ष में उनके अनुपालन के लिए कुछ निर्देश दिए, जिसने इस न्यायालय के समक्ष पोर्ट ट्रस्टों द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से इन अपीलों को दायर करने को जन्म दिया है।

20. श्री पी.एस. नरसिम्हा, श्री पी. विल्सन, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री वी. प्रकाश, श्री राजू रामचन्द्रन, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना।

21. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम यहां नीचे उल्लिखित निर्देशों के साथ आंशिक रूप से अपील की अनुमति देने के इच्छुक हैं।

22. हमारी सुविचारित राय में, रिट याचिकाकर्ताओं (यहाँ उत्तरदाताओं) द्वारा उठाए गए विवाद की प्रकृति और रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत को ध्यान में रखते हुए, जिसमें से ये अपीलें उठती हैं और एमओयू के खंडों, विशेष रूप से खंड 31 को ध्यान में रखते हुए एमओयू के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई के लिए गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एकल न्यायाधीश द्वारा और इसके बजाय पार्टियों को कानून के अनुसार अपने निर्णय के लिए मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए खंड 31 में प्रदान किए गए उपाय का सहारा लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था।

23. हमारी सुविचारित राय में, एक प्रश्न यह है कि क्या कोई विशेष व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान में रोजगार में है और क्या वह ऐसे प्रतिष्ठान (जैसे इस मामले में पोर्ट ट्रस्ट) में अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का हकदार है और यदि हां, तो किस तारीख से यह मूलतः तथ्य का प्रश्न है।

24. यदि ऐसा प्रश्न प्रतिष्ठान द्वारा विवादित है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथ्य-खोज निकाय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है, जब तक कि पक्ष तथ्यों पर विवाद न करें।

25. यदि एक व्यक्ति किसी विशेष तिथि से नियमितीकरण गुआ स्थापना के अपने मामले को साबित करने में सक्षम है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का मामला भी अन्य व्यक्ति की तरह स्वचालित रूप से साबित हो गया है।

26. दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को सबूत जोड़कर स्वतंत्र रूप से अपने मामले को साबित करना होगा। केवल तभी ऐसा व्यक्ति ऐसी राहत का दावा करने का हकदार है।

27. हमारी सुविचारित राय में, मामले में कई प्रश्न उठते हैं और उचित राहत, यदि कोई हो, देने पर विचार करने से पहले उनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। जब हम ऊपर दिए गए मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों को देखते हैं तो ये प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और मुख्य गतिविधि से संबंधित हैं जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में की जा रही थी और अब बड़े पैमाने पर एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट में स्थानांतरित हो गई है। अब जो विवाद फिर से उठाया जा रहा है वह चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रोजगार और नियमितीकरण से संबंधित है। दरअसल, इस विवाद को हमेशा के लिए निपटाने के लिए, हितधारकों ने अतीत में संबंधित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों की रक्षा के लिए पूरी मशीनरी प्रदान करने वाले एमओयू को निष्पादित किया था, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। लेकिन कई हस्तक्षेपकारी कारकों के कारण यह सुचारू रूप से काम करता नहीं दिख रहा था।

28. हमारी सुविचारित राय में, इस मामले में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं।

29. पहला, क्या रिट याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के रोजगार में थे/हैं या किसी ठेकेदार के रोजगार में थे और यदि हां, तो इसका आधार क्या है। दूसरा, क्या रिट याचिकाकर्ताओं और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के बीच या रिट याचिकाकर्ताओं और किसी ठेकेदार के बीच कर्मचारी और नियोक्ता का कोई संबंध था और यदि हां, तो इसका आधार क्या है।

30. तीसरा, क्या रिट याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्य थे/हैं और यदि हाँ, तो इसका प्रभाव और यदि नहीं, तो इसका प्रभाव।

31. चौथा, यह मानते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं को एसोसिएशन का सदस्य नहीं माना जाता है जैसा कि वे अब रिट याचिका में दावा करते हैं (पृष्ठ 125-126 पर रिट याचिका में ग्राउंड (ई) देखें), क्या रिट याचिकाकर्ता (90) संख्या में) अभी भी किसी भी राहत का दावा करने के हकदार हैं और यदि हां, तो किस पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ और किस प्रकृति का।

32. पांचवां, यह मानते हुए कि रिट याचिकाकर्ताओं को एमओयू में निर्धारित उनकी योग्यता के आधार पर एसोसिएशन का सदस्य या मान लें कि योग्य सदस्य माना जाता है, क्या वे किसी पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ किसी भी राहत का दावा करने के हकदार हैं और यदि हां, तो किसमें से प्रकृति।

33. छठा, यदि रिट याचिकाकर्ता (चाहे सभी या कुछ) यह साबित करने में सक्षम हैं कि वे चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के रोजगार में हैं/थे और उनके बीच कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध एमओयू के निष्पादन के बावजूद मौजूद है, तो क्या ऐसे व्यक्ति पोर्ट ट्रस्ट की सेवा में नियमितीकरण का दावा करने के हकदार हैं और यदि हां, तो कब से और किन लाभों के साथ या उनके मामले अभी भी इसके सदस्यों के रूप में एमओयू द्वारा शासित हैं और अंत में, रिट याचिकाकर्ताओं को क्या अंतिम राहत, यदि कोई हो, दी जा सकती है।

34. हमारे विचार में, उपरोक्त प्रश्नों का निर्णय रिट याचिका में नहीं किया जा सकता है, बल्कि साक्ष्य दर्ज करने के लिए सशक्त तथ्य-खोज निकाय द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय लिया जा सकता है।

35. चूँकि इस मामले में पक्षकार अपने बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए सहमत हुए हैं, हमारा विचार है कि यह न्याय के हित में होगा कि पार्टियों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण का सहारा लेने के लिए बाध्य किया जाए। विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता कार्यवाही का उपाय।

36. हमारा विचार है कि मामले में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को तय करने के लिए, मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के उद्देश्य से एमओयू का सहारा लिया जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अन्यथा भी, यहां उठाए गए विवाद ऐसे विवाद नहीं हैं, जिनका रिट क्षेत्राधिकार में प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाया जा सकता है और वास्तव में केवल एक न्यायाधिकरण द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है।

37. एक बार जब विवादों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेज दिया जाता है, तो रिट याचिकाकर्ता और पोर्ट ट्रस्ट साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी) जोड़ने सहित अपने संबंधित तर्कों के समर्थन में तथ्यों/कानून के आधार पर सभी मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

38. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम विवादित आदेश को कायम रखने में असमर्थ हैं, जिसे इस मामले के तथ्यों के अनुसार पारित नहीं किया जाना चाहिए था।

39. परिणामस्वरूप, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं, डिवीजन बेंच और एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णयों को रद्द करते हैं, रिट याचिका को खारिज करते हैं जिससे ये

अपीलें उत्पन्न होती हैं और रिट याचिकाकर्ताओं और पोर्ट ट्रस्टों को न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हैं। इस न्यायालय द्वारा पूर्व निर्धारित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए एमओयू के खंड 31 के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति।

40. यदि पक्ष चाहें तो न्यायालय के माध्यम से मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति का सहारा लिए बिना, आपसी सहमति से मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

41. एक बार नियुक्त होने पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों पर संदर्भ देना शुरू कर देगा और पार्टियों/हितधारकों के परामर्श के बाद कोई और प्रश्न तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि ऐसे प्रश्न भी उठते हैं और उन्हें शांत करने का निर्णय लेने की आवश्यकता है लंबे समय से लंबित विवाद.

42. मध्यस्थता न्यायाधिकरण संबंधित सभी पक्षों (हितधारकों) को अपनी प्रतिक्रिया/बयान दाखिल करने और अपने संबंधित रुख के समर्थन में साक्ष्य पेश करने का पूरा अवसर देगा और फिर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कानून के अनुसार एक तर्कसंगत पुरस्कार पारित करेगा। पार्टियां (मौखिक/वृत्तचित्र) एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित हैं।

43. चूंकि मामला पुराना है और बड़ी संख्या में श्रमिकों से संबंधित है, इसलिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की तारीख से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।

दिव्या पांडे अपील की अनुमति.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।